15 ... कार्यवाही ...
दि० 14-12-15 को पेश हुआ।

14/12/15 पुकार पर उपस्थित। अधिवक्ता प्रा.पत्र अन्तर्गत [illegible] पत्रावली। आ. किया गया। [illegible] प्रा.पत्र (उभयपक्ष) वास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 28-12-15 को पेश हो। तब तक T.O. की अवधि बढ़ाई जाती है।

28/12/15 वास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 1-1-16 को पेश हो। तब तक T.O. की अवधि बढ़ाई जाती है।

1/1/16 पुकार उप.। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जा रहा है। आ. पत्रा. किया गया। पत्रावली निर्णय पुनः [illegible] आदेशानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (बघवर)

275/2015 Kamlesh vs Shubhkaran

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
227 / 2014	03 / 09 / 2014	1.1.16

उनवान

1. शुभराम
2. गणपत
3. अभयसिंह
4. जगदीश पुत्रान बोदनराम जाजि जाटान निवासीयान ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज)

:– प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1.रोहताश पुत्र देशराज
2.सावत्री
3.शकुन्तला पुत्रीयान देशराज
4.नवीन पुत्र कप्तान
5.सोनू पुत्र सूरजन
6.निर्मला पत्नी सूरजन
7.निर्मला बेवा कप्तान जाति जाटान निवासीयान ग्राम बघाना तह0 कोटकासिम
8.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :–

1. श्री श्रीभगवान अधि0 प्रार्थी
2. श्री गिरधारीलाल अधि0 अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 रा.का.ए. आदेश 39

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजात से वादी/प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पूरी– पूरी उम्मीद है।विवादित आराजी मिन प्रार्थीगन के पिताजी बोदनराम पुत्र श्री फूसाराम जाति जाट ग्राम बघाना ने अप्रार्थीगन सं0 1 लगायात 3 व अप्रार्थी सं0 4 लगायत 7 के बुजुर्गान कप्तान सुरजन हीरालाल उर्फ व कालिया से सन 1975 में मौखिक तौर पर खरीद की। रोहताश सुरजन कप्तान हीरालाल उर्फ कालिया उस वक्त नाबालिग होने के कारण विवादित आराजी की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। अप्रार्थीगन व अप्रार्थीगण के बुजर्गान ने वक्त खरीद ही विवादित आराजी पर मिन प्रार्थीगन के पिताजी बोदनराम को कब्जा संभलवा दिया था वक्त खरीद से ही अपने जीवनकाल तक विवादित आराजी पर मिन प्रार्थी के पिताजी काबिज काश्त रहे। उनकी फौतगी के बाद मिन प्रार्थीगण उनके वारिसान होने के नाते विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर मिन प्रार्थीगन का वास्तविक कब्जा काश्त है। बाद बेचान से विवादित आराजी पर कभी अप्रार्थीगन व अप्रार्थीगण के बुजुर्गान का कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही अप्रार्थीगन विवादित आराजी के किसी भी जुज पर काबिज काश्त हैं वो गैरवास्ता काबिज सख्स है। विवादित आराजी में मकान बनाने की मंजूरी मिन प्रार्थीगन के पिताजी बोदनराम ने दि0 26–04–78 को नायब तहसीलदार कोटकासिम से ली हुई है मंजूरी लेकर विवादित आराजी के कुछ रकबे मे मिन प्रार्थीगन के पिताजी बोदनराम ने अपने जीवनकाल में रिहायशी मकान बना लिये और कुछ हिस्से में काश्त करने लग गये। विवादित आराजी में मौके पर रिहायशी मकान कुछ हिस्से में बने हुये हैं। जिसमें मिन प्रार्थीगन अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं और कुछ हिस्से में मिन प्रार्थीगन काश्त कार्य करते आ रहे हैं। मिन प्रार्थीगन कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी विवादित आराजी के स्वतः ही खातेदार काश्तकार घोषित हो चुंके हैं क्योंकि विवादित आराजी पर मिन प्रार्थी के पिताजी व मिन प्रार्थीगन बदस्तुर करीब 40 सालो से काबिज रहे हैं। मौके पर मिन प्रार्थीगणों का वास्तविक कब्जा है। मिन प्रार्थीगण के पिताजी व मिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्गान की

1.1.16

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

जानकारी में खुल्लम – खुल्ला काबिज होकर व रिहायशी मकानात बनाकर वक्त खरीद सन0 1975 से ही आज तक बदस्तूर रह रहे हैं परन्तु अब अप्रार्थीगनो के मन मे जमीनो के भाव बढ जाने की वजह से व राजस्व रिकोर्ड में इनके नाम का गलत अंकन होने की वजह से बदयान्ती आ गई है। दिनांक 29–08–14 को अप्रार्थीगन ने मिन प्रार्थीगन के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा की व जबरन विवादित आराजी पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया और ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम दर्ज होने का फायदा हम उठाते हुये दीगर लोगो को बेचान करेगे और तुम्है जब्रन बेदखल कर अपना कब्जा करेगें। दि0 1–9–14 को हल्का पटवारी से नकल जमाबदी प्राप्त की तो मालूम पडा कि विवादित आराजी खिलाफ कानून अप्रार्थीगनो के नाम गलत दर्ज हो रही है। यदि अप्रार्थीगन अपने इस नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपने अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा, अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत मे रूपयो मे नही ऑकी जा सकेगी इसलिये मिन प्रार्थी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पांबद करवाने के अधिकारी है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति मिन प्रार्थीगन है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगन को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा न0 574/0.1700 हैक्टयर वाके ग्राम बघाना तह0 कोटकासिम अलवर को कहीं दीगर जगह रहन, बय, हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करें, ना ही प्रार्थीगन के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना ऋण प्राप्त करे, ना ही प्रार्थीगन को जब्रन बेदखल कर, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा कायम रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थी सं0 9 विकासशर्मा की आर से जवाब पेश किया कि प्रार्थी को वाद में कामयाबी की कतई भी उम्मीद नही करनी चाहिये। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर झूंठा वादपत्र, झूंठा–शपथपत्र एंवम दस्तावेजात पेश किये हैं। जिनसे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता हैं। अप्रार्थी ने विवादित आराजी हाल खसरा न0 574/0.17 है0 में से अप्रार्थी सं0 1 रोहताश व अप्रार्थी सं0 3 शकुन्तला व अप्रार्थी सं0 6 निर्मला से उनका हक हिस्सा 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 25–08–14 को इनको समस्त प्रति0 की राशि

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा खरीद किया हुआ है और खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थी अपने खरीद शुदा रकबे पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन अप्रार्थी का वास्ताविक कब्जा काश्त है। मिन अप्रार्थी अपनी खरीदी आराजी का सदभावी केता है। प्रार्थी, मिनअप्रार्थी को उसकी खरीद शुदा उक्त भूमि तक जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पांबद नही करवा सकता है मिन अप्रार्थी उक्त खरीद भूमि का सदभावी क्रेता है। प्रार्थीगन का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज हैं। खारिज फरमाया जावे। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थी की उक्त खरीदशुदा भुमि तक स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे ताकि मिन अप्रार्थी अपनी उक्त खरीदशुदा आराजी का इंतकाल जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवा सके।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता बोदन ने मौखिक तौर पर वर्ष 1975 में खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी क्योंकि उस वक्त रोहताश सुरजन कप्तान हीरालाल उर्फ कालिया नाबालिगान थें। जो बाद में प्रति0 रोहताश सुरजन कप्तान हीरालाल उर्फ कालिया के वारिसान के नाम दर्ज हो गई। जबकि विवादित आराजी पर खरीद वक्त से प्रार्थीगण के पिता व उनकी फौतगी के बाद प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द किया गया व रिकार्ड में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण को होगा। प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजी में प्रति0 1, 3, 6 का 1/2 हक हिस्सा था। जिसका दिनांक 25.08.2014 को समस्त राशि लेकर मुझ जवाबदार प्रति0 9 बेचान की गई। मिन प्रार्थी प्रतिवादी 9 बोनाफाइड परचेजर है। अप्रार्थी खरीद शुदा रकबे पर काबिज काश्त है। तीनों बिन्दुओं अप्रार्थी जवाबदार के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार नहीं है। अप्रार्थीगण 1 से 7 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी जवाबदार ने रिकार्डेड खातेदार का हिस्सा खरीद किया जाना साबित है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का साबित नहीं है। रिकार्डेड खातेदार की भूमि पर उसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया तो सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण को होगा ना कि प्रार्थीगण को। जब सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण को नहीं है तो उनको अपूरणीय क्षति होने को प्रश्न भी उनके हक में साबित नहीं है। अप्रार्थीगण के कब्जा मुखालफाना के सम्बन्ध में वादपत्र में साक्ष्य व सुनवाई के आधार पर निर्णय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी खारिज किया जाता है। पत्रावल निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक ~~30.12.2015~~ 1.1.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner